—: न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नसीराबाद जिला अजमेर :—

पीठासीन अधिकारी :—देवीलाल यादव (आर.ए.एस.)
प्रकरण संख्या :— 131/2024

उनवान

पन्नी पुत्री हीरा जाति गुर्जर निवासी ग्राम नवाब, नसीराबाद
——वादीगण :—जरियें अधिवक्ता श्री सुखदेव चौधरी

बनाम

1. कमला पत्नी गंगाराम
2. गीता पत्नी कालू
3. फूमा पत्नी नन्दा
4. मंगलाराम पुत्र चन्द्रा
5. रूकमा पुत्री जाति
6. सत्यनारायण पुत्र चन्द्रा समसत जाति गुर्जर निवासी नवाब, नसीराबाद
7. राजस्थान सरकार जरियें तहसीलदार नसीराबाद

——प्रतिवादीगण :— 1, 4 व 6 जरियें अधिवक्ता श्री नरेन्द्र सिंह राठौड
1, 3 व 5 अनुपस्थित, 7 जरियें राज. पैरोकार

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा धारा 131 व 132 भू राजस्व अधिनियम 1956

—: आदेश :— दिनांक :— 10.10.24

अधिवक्ता प्रार्थी ने उक्त वाद पेश कर निवेदन किया कि ग्राम नवाब के वंर्किग खसरा नम्बर 263 राजस्व मानचित्र में सही जगह दर्शित था। उक्त स्थान पर हाल मानचित्र में खसरा नम्बर 978 खसरा अंकित कर दिया जबकि अप्रार्थीगण के खसरा नम्बर 978 का रकबा 1.36 है व प्रार्थी के खसरा नम्बर 969 का रकबा 0.08 है जो कि खसरा नम्बर 978 पर दर्शित होना था। बंदोबस्त विभाग ने हाल राजस्व मानचित्र में त्रुटिपूर्ण अंकन कर दिया है। जिस कारण प्रार्थी के उपयोग—उपभोग में परेशानी हो रही है। अतः हाल राजस्व मानचित्र में वंर्किग नक्शे अनुसार दुरूस्ती की जावे।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण को जरियें नोटिस तलब किया गया। 1, 4 व 6 ने जरियें अधिवक्ता जवाब पेश कर निवेदन किया कि ग्राम नवाब के हाल खसरा नम्बर 969 रकबा 0.08 प्रार्थी की खातेदारी व हाल खसरा नम्बर 978 रकबा 1.07, 979 रकबा 0.12 की आराजी अप्रार्थीगण की खातेदारी की है। हाल राजस्व मानचित्र त्रुटिपूर्ण है। हाल राजस्व मानचित्र में खसरा नम्बर 978 के स्थान पर प्रार्थी का खसरा नम्बर 969 रकबा 0.08 व हाल खसरा नम्बर 979 के स्थान पर खसरा नम्बर 978 रकबा 1.07 व हाल खसरा नम्बर 969 के स्थान पर खसरा नम्बर 979 रकबा 0.12 गै.मु. अंकित होनी चाहिये। उक्तानुसार राजस्व मानचित्र में दुरूस्ती की जावे, तथा जवाबकर्ता की खातेदारी आराजी के रकबे में किसी प्रकार का परिवर्तन नही किया जावे। जवाब के साथ संलग्न नजरी नक्शा अनुसार राजस्व

Signature Not Verified
Digitally signed by Devi Lal Yadav
Date: 2025.07.28 15:08:42 IST
Reason: SelfAttested

——2

उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद (अजमेर)

मानचित्र में दुरूस्ती की जाती है तो अप्रार्थीगण को कोई आपत्ति नही है।
प्रार्थी व अप्रार्थीगण के अधिवक्ता ने उक्तानुसार राजस्व मानचित्र में दुरूस्ती हेतु सहमती जाहिर की।

बहस उभयपक्ष सुनी गयी।

पत्रावली का अवलोकन किया। विद्वान अधिवक्तागण व राज.पैरोकार की बहस पर मनन किया। ग्राम नवाब नवाब के हाल खसरा नम्बर 969 रकबा 0.08 प्रार्थी की खातेदारी व हाल खसरा नम्बर 978 रकबा 1.07, 979 रकबा 0.12 की आराजी अप्रार्थीगण की खातेदारी की है। प्रार्थी के खसरा नमबर 969 का वंर्किग खसरा नम्बर 263 थाव अप्रार्थी के खसरा नमबर 978 व 979 का वंर्किग खसरा नम्बर 268 था। अप्रार्थी के हाल खसरा नम्बर 978 को वंर्किग खसरा नम्बर 263 के स्थान पर व प्रार्थी के खसरा नमबर 969 को वंर्किग खसरा नम्बर 968 के स्थान पर अंकित कर दिया है। वंर्किग व हाल राजस्व मानचित्र तथा अप्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत जवाब के अनुसार हाल खसरा नमबर 978 के स्थान पर खसरा नम्बर 969, हाल खसरा नम्बर 969 के स्थान पर खसरा नम्बर 979 व हाल खसरा नम्बर 979 के स्थान पर खसरा नम्बर 978 अंकित होना चाहिये। उक्तानुसार आराजी मुतनजा का हाल राजस्व मानचित्र त्रुटिपूर्ण सिद्व होता है। प्रकरण में प्रार्थना पत्र के तथ्यों को कोई खण्डन नही है। प्रार्थी राजस्व मानचित्र दुरूस्त करवाने का अधिकारी है।

उक्तानुसार प्रार्थी का प्रार्थना पत्र **"स्वीकार"** किया जाता है। तहसीलदार नसीराबाद ग्राम नवाब के हाल खसरा नम्बर 978 रकबा 1.07 के स्थान पर खसरा नम्बर 969 रकबा 0.08, हाल खसरा नम्बर 969 रकबा 0.08 के स्थान पर खसरा नम्बर 979 रकबा 0.12 व हाल खसरा नम्बर 979 रकबा 0.12 के स्थान पर खसरा नम्बर 978 रकबा 1.07 अंकित करने की कार्यवाही करावे। पक्षकार खर्चा स्वयं वहन करे।

आदेश सरे इजलास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद

Signature Not Verified

Digitally signed by Devi Lal Yadav
Date: 2025.07.28 15:08:42 IST
Reason: SelfAttested